राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	लक्ष्मीनारायण बनाम श्रवण कुमार हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/10/25	75/2025 पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/11/2025 को पेश हो।	
04/11/25	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बगैर मात्र प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 5, 7,8,9 ने आपसी मिलीभगत कर सहमति के आधार पर अपीलाधीन अन्तरिम आदेश दिनांक 28/04/2014 पारित करते हुये उभयपक्षों को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी मौखिक बहस की। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन आदेश अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश आगामी तारीख पेशी तक के लिये पारित अन्तरिम आदेश है, जिसमे दोनों पक्षों की विस्तृत सुनवाई कर युक्तियुक्त व विधिसम्मत एवं विवेचनात्मक आदेश पारित होना अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अभी शेष है किन्तु दौराने बहस अपीलार्थी द्वारा उन्नत कृषि हेतु कृषि बाड़े व आवास हेतु आवासीय भवन इत्यादि के निर्माण तथा राजकीय ऋण प्राप्त करने एवं विरासत एवं हक़त्याग के नामान्तकरण के सहखातेदारान/पक्षकारान को अपीलाधीन आदेश की वजह से आ रही परेशानी के तथ्य व सन्दर्भ जाहिर किया गया है, जो उचित प्रतीत होता है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 28/04/2014 को बाड़े/मकान निर्माण करने व के.सी.सी. ऋण प्राप्त करने व समाप्त करने तथा विरासत व हक़त्याग का नामान्तकरण खोले जाने की हद तक निरस्त किया जाकर शेष अपीलाधीन आदेश दिनांक 28/04/2014 यथावत रखे जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। तदनुसार अपील अपीलार्थी आंशिक स्वीकार की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 04/11/2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर